पूर्णायु छात्रावास नियमावली

छात्रावास आचार संहिता -

पूर्णायु (महाविद्यालय, छात्रावास, चिकित्सालय) माँसाहार मुक्त प्रांगण है। यहाँ माँस का सेवन करना/ लेकर आना / रखना / माँसाहार का समर्थन करना / माँस भक्षण का प्रोत्साहन देना इत्यादि सख्त निषेध है।

शाकाहार और अहिंसा पूर्णायु के मूल सिद्धांत एवं प्राण है।

रैगिंग सम्बन्धी - भारतीय दंड संहिता के तहत 'रैगिंग' एक दंडनीय अपराध है।
किसी भी छात्रा (वरिष्ठ/नवीन) के साथ अनुचित/अभद्रपूर्ण व्यव्हार सख्त रूप से वर्जित है जो उसे शारीरिक, मानसिक भावनात्मक प्रभावित करे।

1. छात्रावास में **केवल शाकाहारी (जैन) भोजन की ही व्यवस्था है**, बाजार से मंगाया गया खाद्य पदार्थ छात्रावास संरक्षिका के जाँच के बाद ही कक्ष में ले जाने की अनुमति होगी।

2. कॉलेज से **शाम 5:00 P.M. बजे तक** छात्रावास में प्रवेश करना अनिवार्य हैं, **अनुमति** से सबसे नजदीकी मंदिर जा सकते हैं।

3. छात्राओं को केवल उनके **आवंटित कक्ष में ही सोना** है।

4. वैज्ञानिक कारणों से **रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक मोबाईल, संरक्षिका को जमा करवाना** अनिवार्य है। (अलार्म घड़ी रख लें)

5. रात्रि में छात्राओं को **आवाज़ करने या किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं** है जिससे अन्य छात्राओं को परेशानी हो।

6. कक्ष की **बिजली 10:00 pm बजे बंद** करनी होगी, अध्ययन के लिए आप **स्टडी लैंप** का उपयोग कर सकते हैं।

7. **शोर्ट-टॉप्स, मिनी स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, स्लीवलेस, ऑफ शोल्डर तथा फटे वस्त्रों** द्वारा अंग प्रदर्शन निषेध है। (कक्ष के अन्दर/बाहर **सभ्य एवं शालीन वस्त्र** पहनें)

8. सत्र के दौरान निम्न परिस्थितियों में **अवकाश** दिया जाता है-
   - **माह के किसी दो दिन** छात्रावास से माता-पिता की **लिखित सहमति से** बाहर जाने की अनुमति है।
   - **2 या 2 से अधिक के समूह में ही** जा सकते हैं।
   - अवकाश का समय सुबह **10:00 am से शाम 6:00pm**. तक।
   - **पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों हेतु अभिभावकों द्वारा लिखित रूप से अनुमति** लेना अनिवार्य है।

9. कैंपस से बाहर जाने के लिए **गेट पास** लेना अनिवार्य है।

10. छात्रावास में **बाहर से कोई भी सामान लाने पर प्रत्येक बार गार्ड्स द्वारा निरिक्षण (जांच**) की जाएगी।

11. अन्दर या बाहर परिसर में, सह-छात्रा आदि से **पैसे उधार लेना-देना सख्त वर्जित** है।

12. कक्ष के **अन्दर**, छात्रा को कोई भी विद्युत उपकरण **जैसे रॉड, चाय केटली, ओवन, माइक्रोवेव, इंडक्शन आदि रखने** की अनुमति **नहीं** है। नहाने के लिए **गर्म पानी की व्यवस्था** है। (प्रेस ला सकते हैं)

13. कक्ष में **टैब, लैपटॉप रखना वर्जित है**, जरूरत के समय छात्रावास के **कंप्यूटर रूम का इस्तेमाल** कर सकते है।

14. कक्ष के अन्दर किसी प्रकार की **खाद्य सामग्री बनाने की अनुमति नहीं** है।

15. व्यकिगत रूप से **सेवाकर्मियों को** किसी भी प्रकार का **उपहार देना-लेना वर्जित** है।

16. अध्ययन पूर्ण होने तक छात्राओं को **ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन जॉब** की अनुमति नहीं है।

17. माता-पिता की **अनुमति के बिना बाहर किसी से भी कोई उपहार लेना मना** है।

18. छात्रावास में **सामूहिक रूप से धार्मिक आयोजन का निषेध है।** अपने-अपने स्वयं के कक्ष में बच्चो को अपनी आस्था के अनुरूप अहिंसक धार्मिक क्रियाएं करने की अनुमति होगीा, अन्य किसी के कक्ष में बच्चे नहीं जायेंगे। कक्ष में कोई भी भगवान की मूर्ति विराजमान करने का निषेध है।

19**. बी.ए.एम.एस. पूर्ण होने तक सभी छात्राओं के लिए छात्रावास में रहना अनिवार्य** है।
(विवाहित एवं जबलपुर मूल निवासी को छोड़कर)

20. चोरी करना, जुआ खेलना, पालतू जानवर रखना, धूम्रपान करना, तम्बाकू उत्पादों आदि का उपयोग करना/रखना, शराब (Fruit beer/ Wine /Alcohol) का सेवन करना, नशीले पदार्थ का सेवन करना/ रखना, रैगिंग, छेड़खानी, यौन उत्पीड़न, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में अश्लील सामग्री रखना, अवैध हथियार/ उपकरण रखना, रैगिंग सख्त रूप से वर्जित है।
ऐसा करते हुए पाए जाने पर छात्रावास प्रबंधन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम रहेगा।

21. **आगंतुकों के लिए दिशानिर्देश-**

- छात्रा से मिलने के इच्छुक माता-पिता/परिजनों से अनुरोध है कि वे छात्रावास संरक्षिका को **WhatsApp message द्वारा 1 दिन पूर्व ज्ञात कराएं** अन्यथा वे मिलने में असमर्थ रहेंगे।
- छात्रावास में **पुरुषों का आना प्रतिबिंधित** है।
- माता-पिता/परिजन, **प्रतीक्षा कक्ष में ही** अधिक्ताम माह में दो बार मिल सकते हैं।

समय- सुबह 7:00 से 9:00

शाम- 4:00 से 6:00

एवं अवकाश के दिन सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे तक अपनी बालिका से मिल सकते हैं।

* **उपर्युक्त नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।**

विशेष सुविधाएं-

- समय समय पर छात्रावास परिसर में मूवी दिखाई जाती है, सांस्कृतिक गतिविधियों होती है।
- खेल की सुविधा उपलब्ध है। (Badminton, Carrom, Chess etc.)
- उपवास में फलाहार/भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है।
- परिसर से बाहर **निकटतम मंदिर** के दर्शन हेतु समूह में सुरक्षाकर्मी के साथ भेजा जाता है।

दंडात्मक कार्यवाही

किसी भी छात्रा द्वारा नियमावली भंग करने की दशा में अनुशाश्नात्मक कार्यवाही की जाएगी, जैसे -

- **7 से 15 दिन का छात्रावास से निष्कासन कर मूल निवास भेज दिया जाएगा, छात्रावास कक्ष में परिवर्तन किया जाएगा, इत्यादी।**

स्व-घोषणा

मैंने, छात्रावास की नियमावली पढ़ ली है और उससे पूर्णतः अवगत हूँ। मैं सभी नियमो का पालन निष्ठां पूर्वक करने का संकल्प करती हूँ। किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर छात्रावास प्रबंधन द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य रहेगा। **मैं उक्त निर्णय के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत / प्रदर्शन / झगड़ा / उपद्रव नहीं करूँगी।**

छात्रा के हस्ताक्षर

अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्रावास प्रवेश दिनांक

छात्रावास प्रबंधक

पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ

दयोदय तीर्थ, तिलवारा, मध्य प्रदेश 482003

छात्रावास आवेदन पत्र

क्रमांक : ________

छायाचित्र

छात्रावास प्रबंधन समिति,

मैं छात्रावास प्रवेश के लिए सत्र ________ में आवेदन करना चाहती हूं।

नीट प्राप्तांक : ________

१. आवेदक का नाम : ____

२. पिता का नाम : ______________________ आहार- ______________

३. माता का नाम : ____

४. संरक्षक का नाम : ____

५. जन्मतिथि : ________________ ब्लड ग्रुप : ________________

६. राज्य : ________________ शहर : ________________

७. जाति : ________________ श्रेणी : जनरल /एस.सी /एस.टी /ओ.बी.सी /ई.डब्ल्यू.एस

८. मोबाइल नंबर (छात्रा) : ________________

९. ईमेल आई.डी : ________________

*** संपर्क जिससे आउटिंग हेतु लिखित सहमति आप भेजेंगे एवं WhatsApp समूह में शामिल होने के लिए**

१०. पिता का मोबाइल नंबर : ________________

११. माता का मोबाइल नंबर : ________________

१२. संरक्षक का मोबाइल नंबर : ________________

१३. स्थायी पता : ____

१४. स्थानीय संरक्षक का पता : ____